जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

क्रमांक : जो.वि.वि.नि.लि./प्र.नि./मु.अ.(मु.)/अ.अ.(आर.ए.–सी.)/फा /प्रे. 2022 **दि.** 16/02/2021

आदेश

विषयः– विद्युत चोरी से सबंधित सतर्कता जॉच प्रकरणो के सबंध में की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में स्पष्टीकरण।

माननीय राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग द्वारा विद्युत अधिनियम–2003 के तहत दर्ज चोरी के मामलों में की जाने वाली कार्यवाही एवं राजस्व निर्धारण पुर्नरीक्षण समिति के गठन के संबंध में 22–12–2020 को आदेश जारी किया है । माननीय आयोग के आदेश की अनुपालना में जोधपुर डिस्कॉम द्वारा आदेश क्रमांक 1858 दिनांक 29–01–2021 (वाणिज्य/जोधपुर डिस्कॉम–951) जारी किया गया है । इस आदेश के अनुसार विद्युत चोरी के प्रकरणों में दर्ज मामलों को राजस्व निर्धारण पुर्नरीक्षक समिति के समक्ष प्रोविजनल राजस्व निर्धारण के नोटिस की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर वैधानिक दायित्व राशि का 10 प्रतिशत अथवा 5 लाख रूपये, जो भी कम हो व सम्पूर्ण प्रशमन राशि (Compounding Charges) जमा करवाकर अपील दायर किये जाने का प्रावधान किया गया है ।

विवादित वीसीआर की सुनवाई हेतु पूर्व में जारी आदेश संख्या जेपीडी/ अध्यक्ष डिस्कॉम/टीए /प्रे 326 दिनांक 31–07–2017 (स्थाई आदेश 17/11सी) एवं वर्तमान आदेश संख्या वाणिज्य/जोधपुर डिस्कॉम–951 में समय सीमा में अन्तर होने के कारण उपभोक्ताओं को होने वाली परेशानी को देखते हुये यह निर्णय लिया गया कि आदेश संख्या वाणिज्य जोधपुर डिस्कॉम/951 दिनांक 29.01.2021 से पूर्व भरी गई वीसीआर के मामलो के निस्तारण हेतु उपभोक्ता/गैर उपभोक्ता राजस्व निर्धारण पुर्नरीक्षण समिति के समक्ष अपना पक्ष रखने हेतु 10 मार्च 2021 तक आदेश संख्या वाणिज्य जोधपुर 951 के अन्य प्रावधानो (समयसीमा के अलावा) के अंतर्गत आवेदन कर सकेगें। इस सबंध मे आदेश संख्या वाणिज्य जोधपुर डिस्कॉम/954 दिनांक 09.02.2021 जारी किया गया है।

किसानो की सुविधा हेतु कृषि विद्युत कनेक्शनो की विद्युत चोरी से सबंधित वीसीआर के मामलो में आदेश कमांक/अध्यक्ष डिस्कॉम/ टीए/प्रे.185 दिनांक 25.09.2020 द्वारा निस्तारण का प्रावधान किया गया था। इसी कम में कृषि उपभोक्ता विकल्प के रुप मे विद्युत चोरी से सबंधित राजस्व निर्धारण राशि की 50 प्रतिशत राशि एकमुश्त जमा करवाते है तो सक्षम कमेटी के द्वारा ही प्रकरण का पूर्ण निस्तारण कर दिया जावेगा।

आदेश संख्या वाणिज्य जोधपुर डिस्कॉम/951 दिनाक 29.01.2021 एवं वाणिज्य जोधपुर डिस्कॉम/954 दिनांक 09.02.2021 के प्रावधानों के अतिरिक्त कृषि विद्युत उपभोक्ताओं के लिए आदेश कमांक 185 दिनांक 25.09.2020 के प्रावधान अग्रिम आदेश तक जारी रहेगे ।

आज्ञा से

16.2.21

(ए. के. मीना)
अधीक्षण अभियंता (आरए–सी)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

- निदेशक (वित्त), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- निदेशक (तकनीकी), जोधपुर डिस्कॉम जोधपुर ।
- संभागीय मुख्य अभियन्ता(जोधपुर/बीकानेर/बाड़मेर संभाग),जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/बीकानेर/बाड़मेर।
- मुख्य लेखाधिकारी, ( ) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/जयपुर।
- प्रावे. सहा. अध्यक्ष, डिस्कॉम्स, जयपुर को अध्यक्ष महोदय के अवलोकनार्थ।
- प्रावे. सहा. प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर/अजमेर/जयपुर डिस्कॉम, जोधपुर/अजमेर/जयपुर को प्रबन्ध निदेशक महोदय के अवलोकनार्थ।
- कम्पनी सचिव, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- अधीक्षण अभियन्ता (नगर/जिला/पवस/टर्न–की/पीपीएम/एम.एण्डपी/बी.एफ.एल./एमएम एवं सी), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/पाली/जालोर/बाड़मेर/चूरू/बीकानेर/ श्रीगंगानगर/ हनुमानगढ़/ जैसलमेर /सिरोही।
- अधीक्षण अभियंता (आईटी), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर कृपया यह आदेश जोधपुर डिस्कॉम की वेबसाइड पर प्रदर्शित करें।
- सहायक अधिकारी, Ombudsman, विद्युत विनियामक भवन, सहकार मार्ग, स्टेट मोटर गैराज के पास, जयपुर, को Ombudsman के अवलोकनार्थ।
- अति. पुलिस अधीक्षक (सतर्कता), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर (आपके अधीनस्थ अधिकारियों को उपलब्ध कराने हेतु) ।
- M/s Bikaner Electricity Supply Company, IInd Floor, 3-K-9, Pavanpuri, Bikaner(Raj). 334001
- वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (नगर/जिला/पवस/एम.एम.अंकेक्षण/वाणिज्य/सीपीसी एंव रोकड़) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/पाली/जालोर/बाड़मेर/ चूरू/ बीकानेर/ श्रीगंगानगर/ हनुमानगढ़।
- प्रावेधिक मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- अधिशाषी अभियन्ता ( ), जोधपुर डिस्कॉम,................................(आपके अधीनस्थ कार्यरत समस्त सहायक अभियंताओं, कनिष्ठ अभियंताओं, लेखाकार को उपलब्ध कराने हेतु।
- जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।

16.2.21

अधीक्षण अभियंता (आरए–सी)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर

1023